जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उ0प्र0, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	आपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	जनपद में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत 96 सहकारी समितियों कार्यरत है। जिला सहकारी बैंक की शाखाओं द्वारा समितियों के माध्यम से सहकारी कृषक सदस्यों को विभिन्न प्रकार के ऋण बाटे जातें है। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि निवेश (उर्वरक), बीज, दवाइयों एवं कृषि यन्त्र इत्यादि वितरण किये जातें है। कृषक सदस्यो को केडिट कार्ड जारी कर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराये जातें है। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत पी0सी0एफ0 एवं यू0पी0एस0एस0 के माध्यम से सरकारी दरों पर गेहूं , धान इत्यादि कय कार्य किया जाता है। उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में खुली उपभोक्ता एवं सस्ते गल्ले की दुकानों से उपभोक्ता सामग्री उपलग्ध करायी जाती है। सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित ऋण की वसूली का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। सहकारी समिति एवं सदस्यों के मध्य विवादो को अभिनिर्णय के माध्यम से निपटाया जाता है। विभाग से संबंधित समस्त सूचनायें एवं आकडों को संकलित कर मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक उच्चाधिकारियों को प्रेषित किये जातें है। सहकारी गोष्ठी कर कृषक सदस्यों को स्वावलम्बी बनने हेतु जागरूक किया जाता है।
2.	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न कराते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	<u>क्रमशः निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है।</u> जिला सहायक निबन्धक, सरकारी समितियां, अपर जिला सहकारी अधिकारी / सहकारी निरीक्षक वर्ग–।, सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 / सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), कार्यालय सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है कार्यालय विकास भवन, बिजनौर में स्थित है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 बिजनौर नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियन्त्रण के अधीन समस्त अधिकारी / कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न कराते है।

5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	शासन द्वारा जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 बिजनौरं, अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (सह0)/सहकारी निरीक्षक वर्ग–2, कार्यालय सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए, अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्णत सुरक्षित रखे जाते है नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है।
7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है।	इस संस्था का जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्देशन तथा जिला स्तरीय कमेटी जिसमें जनप्रतिनिधि भाग लेते है, कार्यक्रम को अनुमोदित कराया जाता है।
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक मे शासन की मांग के अनुरूप समस्त जन प्रतिनिधियों की राय, सुझाव लिये जाते है। तदानुसार सहकारी कार्यक्रमो का संचालन किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	इस सस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार के निर्देशो का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक, आकड़े संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियों उ0प्र0, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद एवं निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	इस संस्था का बजट निबन्धक, सहकारी समितियां उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।

12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधित है।	इन कार्यक्रमों से संबंधित कोई बजट उपलब्ध नही कराया जाता है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	शासन के निर्देशानुसार सहकारिता सिद्वान्तो की पूर्ति हुतु समिति स्तर पर गोष्ठियाँ कर कृषक सदस्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया जाता है।
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	संस्था द्वारा समस्त सूचनाऐ संकलित कर उच्चाधिकारियों कों भेजी जाती है आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडियां से प्रचार–प्रसार कराया जाता है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी श्री रमेश चन्द्र, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, सहायक जन सूचना अधिकारी श्री राजपाल सिंह वर्मा, सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 एवं जनपद में कार्यरत सहकारी समितियों के सचिव सहायक जन सूचना अधिकारी (214 पदनाम से),

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0,
बिजनौर।